



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1608]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 1, 2018/वैशाख 11, 1940

No. 1608]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 1, 2018/VAISAKHA 11, 1940

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2018

**का.आ. 1788(अ).**—केन्द्रीय सरकार, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 6 की उप-धारा (1) और उप-धारा (7) के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (3) और उप-धारा (5) के उपबंधों के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 1194(अ), तारीख 16 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, आरंभिक पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

“केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (घ) और खंड (ङ) के साथ पठित प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (5) के अनुसरण में, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, क्रम संख्यांक 3 पर डॉ. के. श्रीनिवास राव, सचिव, साहित्य अकादमी, जिनकी सदस्यता 14 मार्च, 2020 को समाप्त होगी, के मामले के सिवाय, तीन वर्ष की अवधि के लिए भारतीय प्रेस परिषद् में सदस्यों के रूप में नामनिर्देशित निम्नलिखित व्यक्तियों के नामों को अधिसूचित करती है, अर्थात् :—”

[फा. सं. एम-22011/5/2017-प्रेस]

के. संजय मूर्ति, संयुक्त सचिव

---

**MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th April, 2018

**S.O. 1788(E).**—In pursuance of the provisions of sub-sections (3) and (5) of section 5 read with sub-sections (1) and (7) of section 6 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting, published in the Gazette of India, Extra ordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), vide number S.O.1194(E) dated the 16th March, 2018, namely:—

In the said notification, for the opening paragraph, the following paragraph shall be substituted, namely:—

“In pursuance of sub-section (5) of section 5 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978), read with clause (d) and (e) of sub-section (3) of section 5 of the said Act, the Central Government hereby notifies the names of the following persons nominated as members to the Press Council of India for a period of three years, **except in the case of Dr. K. Sreenivasarao, Secretary, Sahitya Akademi at serial number 3 whose membership will end on the 14<sup>th</sup> March, 2020**, from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-”.

[F. No. M-22011/5/2017-Press]

K. SANJAY MURTHY, Jt. Secy.